>

Title : Need to look into the problems being faced by the weavers in Sant Kabir Nagar Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपके माध्यम से सदन के सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र बुनकर बाहुल्य इलाका है, वहां बुनकरों की संख्या लगभग एक लाख से ज्यादा है। वहां पर गरीबी इतनी ज्यादा है कि वहां के बुनकर अपनी रोजी-रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। उनके पास कला और हुनर है, लेकिन ये सारी चीजें होते हुए भी वहां पर उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो सरकारें देती हैं, विशेषकर केन्द्र सरकार जो सुविधाएं हरियाणा, गुजरात एवं अन्य प्रांतों के बुनकरों को देती है, वह नहीं प्राप्त है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकरों की कला और हुनर प्रसिद्ध है। खलीलाबाद, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, मऊ जनपद के बुनकर अपनी कला के लिए मशहूर हैं। मैं उनकी कतिपय समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहता हूं। बिलो पावर्टी लाइन से भी नीचे जीवनयापन करने वाले हमारे यहां के ये बुनकर सहानुभूति के पात्र हैं। मैं बिन्दुवार कुछ प्रोग्राम्स आपके सामने रखना चाहता हूं, यदि इनमें सरकार मदद देगी तो निश्चित रूप से उनका जीवनयापन सुविधाजनक हो जाएगा :

वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी बैंक बुनकरों के कर्जदार होने के कारण कर्ज देने में आनाकानी करते हैं। ऐसी स्थिति में बुनकरों के लिए अलग से बैंक की व्यवस्था बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में की जाए, जिससे कम ब्याज दर पर बुनकरों को ऋण दिया जा सके।

बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की निकासी हेतु देश एवं प्रदेश के बाहर, पूर्व की भांति बड़े-बड़े शहरों में प्रदर्शनियों का आयोजन कम से कम एक माह की अवधि के लिए किया जाए। उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा की गयी बिक्री पर कम से कम 20 प्रतिशत की छूट भारत सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। प्रतिभागियों पर यदि किसी प्रकार का कर्ज अवशेष है, तो उस धनराशि की कटौती करने के पश्चात् शेष धनराशि का भुगतान प्रदर्शनी स्थल पर ही प्रतिभागियों को किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

वर्तमान समय में आधे हॉर्स पावर से चलने वाले पावरलूमों पर उत्पादन किया जा रहा है। यह साधारण बात है कि इसमें बाइण्डिंग, वॉर्पिंग और बीटिंग हाथ से ही की जाती है। यह मशीन आधुनिक नहीं है, इस पर जो उत्पादन होता है, वह हथकरघा से थोड़ा अधिक होता है। ऐसी स्थिति में इस तरह के पावरलूम को हथकरघा का दर्जा प्रदान किया जाए। हथकरघा का दर्जा प्रदान करते समय चार पावरलूमों से अधिक संख्या में कार्य करने वाले बुनकर को इकाई के रूप में माना जाए।

अवस्थापना को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक हित में स्वास्थ्य, शिक्षा, नाली, सड़क, पानी, बिजली, साफ-सफाई आदि सुविधाएं बुनकरों को बुनकर क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु इन्हें बीपीएल सूची में शामिल करते हुए विसेष दर्जा प्रदान कियाजाए। बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में केन्द्रीय उपभोक्ता केन्द्र एवं सेंट्रल सोसाइटी की तरह के केन्द्रों पर इनके उत्पादित वस्त्रों को खरीद कर बेचा जाए। इसके तहत इन्हें भी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन कम से कम 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाए। अस्पतालों, रेलवे एवं पुलिस विभाग के ड्रेस मेटिरियल, पर्दे, बेडशीट्स, टॉवल्स आदि का उत्पादन कराकर बुनकरों को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत आच्छादित कराने की व्यवस्था पर विचार किया जाए।

प्रदेश के प्रत्येक परिक्षेत्र में कार्य करने वाले बुनकरों को एक समान पहचान पत्र निर्गत किए जाने की आवश्यकता है। इससे जहां बुनकरों को अपनी पहचान में परिचय पत्र के माध्यम से दिए जाने वाले शासकीय लाभ में सहायता मिलेगी, वहीं इनके परिवार को विभिन्न योजनाओं एवं वित्तीय सहायताओं के क्रियान्वयन में काफी मदद मिलेगी। यह परिचय पत्र हथकरघा एवं पावरलूम क्षेत्र के लिए अलग-अलग पहचान के लिए मुख्य रूप से जरूरी है। बुनकरों को परिचय पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से उनकी देखरेख में सर्वे कराकर उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

प्रदेश में आधुनिकता के युग में स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले कपड़ों में जो कलाएं प्राचीन काल से हमारे गौरव का विषय रही हैं, वह फैशन युग में विलुप्त हो रही हैं। अतः बुनकरों के मध्य इस कला को बचाने के लिए विशेष सुविधाओं को दिया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि सूत की महंगाई उचित मूल्य पर कपड़ों का न बिकना इसका मुख्य कारण है।

प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों को क्रमशः पलायन होने के बाद पावरलूम प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बुनकर हित को ध्यान में रखकर इनके लिए भी विशेष योजना का पैकेज बनाकर लाभ प्रदान किया जाना आज की आवश्यकता है। पावरलूम बुनकरों की पंजीकरण एवं इन्हें पहचान पत्र प्रदान कर बिजली, विपणन, सूत व मजदूरी आदि की व्यवस्था अति आवश्यक है। बाल श्रमिक के परख/आरक्षित वस्त्रों के पहचान की भी आवश्यकता है।

भारत सरकार के सहयोग से आईसीआईसीआई लोमबार्ड जनरल इन्श्योरेंस कं,िल. द्वारा संचालित है। राज्य सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के लिए इस योजना के अंतर्गत कार्य आच्छादित किया जाता है। योजना में हथकरघा एवं पावरलूम पर बुनाई का कार्य करने वाले सहयोगी बुनकरों का कार्य एक समान है। अतः योजना में इन्हें भी सहयोगी बुनकर के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक है। स्मार्ट कार्ड की तरह बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा से संबंधित लाभ प्रदान करने पर विचार किया जाए, जिससे स्मार्ट कार्ड की तरह ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, ग्रुप एप्रोच, विपणन सहायता आदि सम्बन्धी प्रस्ताव प्रेषित किए जाते समय बकायेदार होने की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बुनकरों के प्रस्ताव पर विचार किए जाने पर छूट प्रदान की जाए। बकायेदारी का प्रतिबंध हटाकर एवं बिक्री तथा टर्न ओवर को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि आपने विस्तार से दस बिंदुओं में अपनी बात को सदन में रख दिया है।

श्री भीष्म उर्फ कुशल तिवारी शंकर : यह योजना हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में बुनकरों का जीवन स्तर उठे, यह मेरी केन्द्र सरकार से अपील है। जिससे उनके जीवन में खुशहाली आ सके।